

कार्यालय-प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।

संख्या : /आदेश/ई0सी0-1/2025-26,

दिनांक : 27 मार्च 2026

कार्यालय आदेश

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद बेंच, प्रयागराज में योजित रिट याचिका संख्या 3849/2026 एवं रिट ए 4341/2026 के क्रम में महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, झाँसी में ज़िम्न विशिष्टताओं के पदों पर दिनांक 30 मार्च 2026 को होने वाले संविदा साक्षात्कार स्थगित किये जाते हैं -

- 1- आर्थोपैडिक्स (1- आचार्य ट्रामा)
- 2- डेन्टिस्ट्री (1- आचार्य)
- 3- पीडियाट्रिक्स (1- सहायक आचार्य)
- 4- पैथोलॉजी (1- ब्लड बैंक-सह आचार्य)
- 5- आर्थोपैडिक्स (1- सहायक आचार्य)

उपरोक्त पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, कि साक्षात्कार तिथि दिनांक 30 मार्च 2026 को साक्षात्कार हेतु उपस्थित न हों।

नोट : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विशिष्टताओं में संविदा चिकित्सकों की तैनाती हेतु दिनांक 30 मार्च 2026 को समिति द्वारा साक्षात्कार लिये जायेंगे।

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज झाँसी।

संख्या : 3156 /आदेश/ई0सी0-1/2025-26, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित - :

- 1) अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ।
- 2) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3) मुख्य स्थायी अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद बेंच, प्रयागराज।
- 4) उप प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज झाँसी।
- 5) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, झाँसी।
- 6) साक्षात्कार समिति के समस्त सदस्य, मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, झाँसी।
- 7) सम्बन्धित विशिष्टता के विभागाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 8) प्रभारी अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज झाँसी को इस आदेश के साथ कि उपरोक्त सूचना कॉलेज कीवेब साइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 9) प्रभारी अधिकारी कोर्ट केस, मेडिकल कालेज झाँसी।
- 10) सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक।
- 11) नोटिस बोर्ड/आदेश पुस्तिका।

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज झाँसी।